

पत्रांक-17/स्था.-10-02/2024,6943...../सा०प्र०

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सचिव,
विधि विभाग, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-...17.4.26

विषय:- श्री रविन्द्र कुमार, बि०स०से०, को०क्र०-539/26, अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-5922 दिनांक-01.04.2026 द्वारा श्री रविन्द्र कुमार, बि०स०से०, को०क्र०-539/26, अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना में अवर सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है किन्तु 15 दिनों के बाद भी श्री कुमार के द्वारा युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि श्री कुमार को युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना में योगदान करने हेतु दिनांक-20.04.2026 तक निश्चित रूप से विरमित करने की कृपा की जाय अन्यथा वे दिनांक-21.04.2026 के पूर्वाह्न से स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन,



(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था.-10-02/2024, 6943/सा०प्र०, पटना-15, दिनांक-...17.4.26

प्रतिलिपि:-सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री रविन्द्र कुमार, बि०स०से०, को०क्र०-539/26, अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।